बैठक के बाद संतुष्ट दिखे पायलट कहा, ''मेरे मुद्दों पर एआईसीसी गंभीर''

दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं से लिए गए सुझाव

- **सभी को चेताया, अब अनर्गल बयानबाजी हुई, तो होगी कार्यवाही, चाहे नेता कितना ही बड़ा हो**
- **इस बार सितंबर में ही उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी, सर्वे के अनुसार जिनकी जीतने की स्थिति नहीं, उन मंत्री-विधायकों के टिकिट कटेंगे**

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के मुद्दों को लेकर बहु प्रतिक्षित बैठक के बाद तय हो गया है कि अब राजस्थान कांग्रेस में नेताओं को ज्यादा शिकवे शिकायत आपस में नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर्द्वंद तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच था। बैठक के बाद जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर सहमति जताई है, उसके बाद यह अंतर्द्वंद भी समाप्त होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी सचिन पायलट को मिलने वाली संभावित जिम्मेदारी को लेकर फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे भी गुरुवार को बुलाई गई बैठक मुख्य रूप से राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए ही बुलाई गई थी। पायलट को लेकर लिए जाने वाले फैसले के लिए अलग से चार- पांच प्रमुख नेताओं की बैठक फिर से बुलाई जा सकती है।

मोटे तौर पर एआईसीसी में हुई इस बैठक में राजस्थान से जुड़े 28 नेताओं ने मौजूद रहकर पार्टी के मौजूदा हालात और चुनाव जीतने की रणनीति पर अपने सुझाव दिए हैं। बैठक के बाहर आने के बाद लगभग सभी नेताओं का यही कहना था कि सब एकजुट है और राजस्थान में हालात ठीक है। पार्टी फिर से रिपीट होकर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बैठक के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी में इस बार सितंबर में ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। यदि कोई मौजूदा मंत्री–विधायक हार रहा है तो उसे टिकट नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने संगठन विस्तार को लेकर कहा कि इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है इसके बाद में जल्द ही संगठन विस्तार किया जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे पर बैठक करीब चार घंटे चली। बैठक में सभी नेताओं राजस्थान से जुड़े मामले पर फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। हाईकमान जो फैसला करेगा, वह सबको मान्य होगा। सचिन पायलट का रोल तय करने पर भी हाईकमान फैसला करेगा।

बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जूम एप के जरिए ऑनलाइन जुड़े। वही महत्वपूर्ण रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। यह भी कहा गया है कि अब किसी तरह के मतभेद की बात सामने नहीं आनी चाहिए। बयानबाजी करने पर कार्रवाई होगी। बैठक में नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया।

सचिन पायलट ने बैठक के बाद मान लिया कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलझा दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा–मुझे खुशी है पार्टी ने मेरे उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे की रूपरेखा बनाई है। भाजपा राज के कार्यकाल में तमाम करप्शन हुए उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई करेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है और इस इश्यू को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी और आगे लेकर जाएगी।

बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पायलट मुद्दे का समाधान निकालने और अब कोई भी मुद्दा नहीं होने का दावा किया है। वेणुगोपाल ने कहा कि सचिन पायलट आज की बैठक में यूनिटी को लेकर बहुत अच्छा बोले और उन्होंने विश्वास जताया कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। पेपरलीक और युवाओं के मुद्दे थे, उस पर विधानसभा में बहुत ही मजबूत कानून लाया जा रहा है। सब मुद्दों का समाधान हो गया है। गहलोत चोट लगने के कारण आ नहीं सके, लेकिन वीसी से पूरे चार घंटे बैठक से जुड़े रहे। अब नेताओं के बीच कोई इश्यू नहीं है, सभी इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं।

परिजन बयानों से मुकरे, अदालत ने अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद

जयपुर। महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति सुनील तोमर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक के भाई और माता–पिता सहित अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष मृतक को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बयान दिए थे और कोर्ट के समक्ष राजीनामा होने के चलते कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। जिससे साबित है कि अभियुक्त की ओर से मृतक को प्रताड़ित किया जाता था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि ऐसे अपराध घटित होते रहे तो समाज का शादी जैसी व्यवस्था से विश्वास कम हो जाएगा और यह मानव विकास के लिए घातक होगा। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की मानसिकता के पीछे भी ऐसे ही अपराधों की जड़ काम करती है, क्योंकि माता–पिता को यह चिंता सताती है कि लड़की को जन्म देने पर उसकी शादी में बहुत खर्च होगा और फिर भी उसके ससुराल में खुश रहने की गारंटी नहीं है। ऐसे अपराध लड़कियों के मन में भी यह भावना पैदा करते हैं कि पढाई से अर्जित योग्यता कोई मायने नहीं रखती और शादी में खर्च पैसे व अधिक दहेज ही उसके पति को खुश रख सकते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि मृतक रीना के भाई पवन सिंह ने 15 फरवरी, 2021 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की एक दिन पहले गला घोंटकर हत्या की गई है। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसके चलते उसकी हत्या की गई है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि मृतका के संतान नहीं होने के कारण वह अवसाद में थी और इसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

युवा कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद को लेकर चर्चा

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जयपुर शहर युवा कांग्रेस की मासिक बैठक संपन्न हुई।

सह प्रभारी चंद्रकला नागौरी, सह प्रभारी अकबर हुसैन, प्रदेश महासचिव ज़ुबैर अली खान राजस्थान युवा कांग्रेस नेतृत्व में रखी हुई इस बैठक में इस महीने बैंगलोर में होने वाली भारतीय युवा कांग्रेस के बेहतर भारत की बुनियाद राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पूरी युवा कार्यकारिणी के साथ चर्चा हुई।

इस बैठक में राहुल गांधी की सोच को गांव गांव ढाणी ढाणी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक राहुल गांधी जी की सोच को पहुंचाने का संकल्प लिया। जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राकेश सैनी, टीपू सुल्तान उपाध्यक्ष अजय मीणा, महासचिव चतर सिंह नरूका, जावेद खान, युवराज मोटवानी, सोयाब चंदेल, गुलफाम खान, एजाज खान, सलमान खान, जुबेर खान, रवि कसोतिया, मनोज मीणा, सचिन मीणा, मोहम्मद अली शेख, आफताब अहमद, दिनेश वर्मा राम लाल चौधरी व सभी युवक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

गहलोत ने शेखावत को बताया था संजीवनी घोटाले का आरोपी, अब खुद ही कठघरे में

मानहानि मामले में अशोक गहलोत को करारा झटका, सात अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की कोर्ट से करारा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में गहलोत को समन जारी कर सात अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने समन जारी किया।

शेखावत ने गहलोत के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने और गहलोत की तस्वीर वाली खबर का स्क्रीनशॉट के साथ कविता लिखकर ट्वीट साझा करते हुए मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि कीचड़ उछालने वाले लाख हैं मगर, कंठ तक जल में गड़ा, मुस्कुराता है कमल। फरवरी, 2023 में गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 फरवरी को आरोप लगाया था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के माता–पिता और पत्नी समेत पूरा परिवार शामिल है। गहलोत और शेखावत के बीच लंबे समय से आरोप–प्रत्यारोप चलते रहे हैं। गहलोत केंद्रीय मंत्री पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश का भी आरोप लगाते रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया। उन्हें सात अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।

मीडिया प्रदेश संयोजक बने प्रमोद वशिष्ठ

जयपुर।भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी के निर्देशानुसार प्रदेश विभागों की घोषणा की है। उनमें प्रदेश मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक प्रमोद वशिष्ठ को, सह संयोजक पंकज मीणा, अरविंद यादव, हेमराज चौधरी को बनाया। वही अध्यक्षीय कार्यालय, प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग प्रदेश संयोजक श्रवण सिंह राव को बनाया हैं।

शेखावत की मानहानि को लेकर गहलोत को समन

जयपुर, (का.सं.)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को समन जारी कर तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त तय की है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की थी।

कोर्ट ने दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को कहा था कि वे जांच रिपोर्ट पेश कर बताएं कि क्या इस मामले में गजेंद्र सिंह आरोपी हैं और क्या सीएम गहलोत ने उनके खिलाफ बिना कारण ही उन्हें आरोपी बताकर बयान दिया है। पुलिस यह भी जांच करें कि क्या संजीवनी सोसायटी घोटाले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं। इस मामले में शेखावत ने पहले कोर्ट से समन जारी करने की मांग की थी, लेकिन समन जारी करने से पहले कोर्ट ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से ही मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था। शेखावत की ओर से भी कोर्ट के समक्ष गहलोत की ओर से उनके खिलाफ की गई

मुख्य परीक्षा में शामिल क्यों नहीं?

जयपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सक को एमडी एनेस्थीसिया की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं करने पर आरयूएचएस के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता डॉक्टर को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए है।

सुनावनी उठावनी

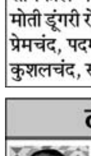

हमारे प्रिय कंवर साहब श्रीमान राजेन्द्र सिंह जी संचेती गुलाबपुरा का देहावसान दिनांक 06.07.2023 को मुंबई में हो गया है। सुनावनी उठावनी शुक्रवार दिनांक 7 जुलाई 2023 को सायंकाल 4.00 से 4.30 बजे दादावाडी मोती डूंगरी रोड पर रखा गया है। **शोकाकुल-** प्रेमचंद, पदमचंद, धर्मचन्द, राजेन्द्र, विरेन्द्र, कुशलचंद, संदीप महता (दांतरी वाले)

तीये की बैठक

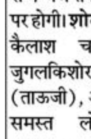

हमारे प्रिय दीपेश (दिव्य) पुत्र श्री अनिल-नेहा अग्रवाल सुपौत्र स्व. गिर्राज प्राद लोहिया-पुष्पा देवी का स्वर्गवास 5.7.23 को हो गया। तीये की बैठक 7.7.2023 को सायंकाल 3 से 4 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर, अंबाबाडी पर होगी। **शोकाकुल-** शंकरलाल, नागरमल, कैलाश चन्द, गोरधनप्रसाद (दादा), जुगलकिशोर, श्याम बंसल, अजय (ताऊजी), अरूण, चंद्रप्रकाश (चाचा) एवं समस्त लोहिया परिवार, मोबाइल- 9829099617, ननिहालपक्ष- कालीचरण जी, राकेश गुप्ता (बधाल वाले)

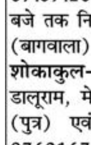

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि श्री कल्याण सहाय जी पुत्र श्री गोविन्दराम सैनी का स्वर्गवास दिनांक 05.07.2023 बुधवार को हो गया है जिनकी तीये की बैठक दिनांक 07.07.2023 शुक्रवार को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान मालियो की ढाणी (बागवाला) आगरा रोड पर होगी। **शोकाकुल-** लल्लू, रामु, नानगराम, डालूराम, मेवाराम, जगदीश, पूरन, रमेश (पुत्र) एवं समस्त अधोप्या परिवार। 8769167721, 9950992722

नम्बर मिलाइए 9587884433

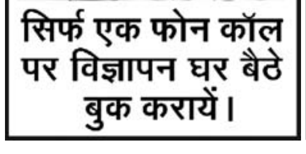

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

एक ही स्थान पर जमे सरकारी कर्मचारियों को हटाने की मांग

- **भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन का प्रतिनिधि मंडल, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला**

जयपुर। चुनाव आयोग कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन टीम के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवीण गुप्ता (आईएएस) से मुलाकात की। और अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल रूप से हटवाए जाने की मांग की।

इस दौरान विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में नव मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा अधिक से अधिक मतदान कराए जाने के प्रयासों पर भी विचार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवीण गुप्ता ने चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। नए मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन सुविधा, सक्षम वोटर पोर्टल, केवाईसी एवं सी विजिल वोटों के बारे में भी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी उपलब्ध करवाई। मतदान के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांगजन (पर्सन विद डिसेबिलिटी) के लिए पोस्टल वेलेट की सुविधा पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में चंद्रमोहन मीणा सेवानिवृत्त आईएएस व पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान, राजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश संयोजक भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ, सुरेंद्र सिंह नरूका मौजूद रहे।

रिटायर्ड कर्मचारियों से मिले सांसद बोहरा

जयपुर। बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टॉफ सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आईसीआईसीआई बैंक में बैंक ऑफ राजस्थान के विलय के पश्चात रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मे आ रही समस्याओं के सम्बंध मे सांसद बोहरा को ज्ञापन प्रस्तुत कर पारिवारिक पेंशन की निर्धारित दर के कार्यान्वयन, आरबीआई के अनुसार पेंशन अद्यतन करना और आजीवन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना आदि के सम्बंध मे अवगत कराया। सांसद बोहरा ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारीयों – कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से शीघ्र ही इस सम्बन्ध मे चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करवायेंगे।

खोया-पाया

मेरा Flat No- EWS/KA/25/6 कृष्णा अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल भौतिक कब्जा पत्र गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें–शैलेन्द्र जांगिड़–9829991732

आम सूचना

सूचित रहे कि मेरे अभिभाष्यगण महेन्द्र कुमार कुमावत पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र कुमावत (मो. 7877958798) एवं श्रीमती कमला देवी पत्नी महेन्द्र कुमार कुमावत, निवासीयान- मकान नम्बर 273, धोली मण्डी, चौमू, जिला जयपुर के पुत्र- पुत्रवधु अभिषेक कुमावत- कृष्णा कुमारी कुमावत, पुत्र- पुत्रवधु विशाल कुमावत- अंकिता कुमावत मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं हैं तथा उनका आचरण व व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के विपरीत हैं, इसलिए मेरे अभिभाष्यगण उन्हे अपने स्वामित्व की समस्त चल- अचल सम्पति के अधिकारो से बेदखल करते हैं उनसे अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा। आज के पश्चात् कोई भी व्यक्ति भविष्य में मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र- पुत्रवधु से कोई लेन देन एवं सम्बन्ध रखता है तो उसके लिए वे स्वंय जिम्मेदार होंगे। भवदीय (चन्द्रराम यादव) एडवोकेट, मो. 9414238504

NAME CHANGE

It is notified that my actual name is Komal Bhardwas but by mistake it has been mentioned as Komal Bharwdaj in my provisional certificate of B.Ed. issued by Rajasthan University. Address 140 Meeno Ka Mohalla Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य जीत सिंह सोनी पुत्र श्री कुलशपाल सिंह सोनी, निवासी ए-11/बी मंगलम बालाजी सिटी, बिन्दायका सिरसी रोड, जयपुर की ओर से सूचित करता हूँ कि मेरे अभिभाष्य का पुत्र विशाल सोनी व पुत्रवधु प्रेरणा सोनी मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य व उसके परिवारजन के साथ लडाई झगडा करते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने इन दोनों को अपनी सम्पति से बेदखल कर दिया है तथा मेरे अभिभाष्य व उसके परिवार के किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था विशाल व प्रेरणा से कोई लेन देन, व्यवहार करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी तथा पुत्र पुत्रवधु के मध्य भी कोई विवाद होता है ता मेरे अभिभाष्य का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा।

(सुशील पुरी गोस्वामी), एडवोकेट मो.नं. 9829848565

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5286 दिनांक-04.07.2023

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 191/112 (LIG) का आवंटन श्री मोहम्मद यासीन पुत्र श्री बुन्दु खां को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 864 दिनांक 20.04.2005 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 33/20 दिनांक 04.04.2013 के द्वारा श्रीमती सरस्वती बालानी पत्नी स्व. श्री भगवान दास के पक्ष में किया गया। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 30.04.2013 को कर दिया गया। श्रीमती सरस्वती बालानी द्वारा श्री रमेश कुमार बुद्वानी पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश बुद्वानी को दिनांक 23.07.2013 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री रमेश कुमार बुद्वानी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास/फ्लैट का विक्रय श्री सूरज कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री जय लाल सैनी को दिनांक 07.11.2023 को जरिये विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री सूरज कुमार सैनी की मृत्यु दिनांक 27.09.2019 को हो जाने के कारण उनकी पुत्रवधु श्रीमती मंजू देवी सैनी पत्नी श्री पवन कुमार सैनी द्वारा आवासन मण्डल में वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती मंजू देवी सैनी पत्नी श्री पवन कुमार सैनी का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 132/2023

चूंकि श्री राकेश मेहता पुत्र श्री प्राण नाथ मेहता जी- 115, 2-फ्लोर पुष्कर एन्क्लेव पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली-110063 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत संत कबीर उच्च शिक्षा समिति एवं शोध संस्थान, एस.डी.एम.कोर्ट के पीछे, नरेना रोड दूदू जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 31.07.2023
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेड क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय मेघराज विरूद्ध मनभर देवी व अन्य
वाद बाबत-दावा
वाद सं. 05 सन् 021

बनाम भंवरलाल पुत्र स्व. श्री रामसहाय उम्र 30 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी मकान नम्बर 812 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चान्दपोल बाजार, जयपुर ....ने आपके विरूद्ध .....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 2 माह 8 सन् 21023 को दिन में...दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेगं साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 5 माह 07 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आज्ञा से
मोहर अदालत
रीडर, अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेड, क्रम. 02 जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेड क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय रामकिशोर विरूद्ध मनभर देवी व अन्य
वाद बाबत-
वाद सं. 34 सन् 021

बनाम भंवरलाल पुत्र स्व. श्री रामसहाय उम्र 30 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी मकान नम्बर 812 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चान्दपोल बाजार, जयपुर ....ने आपके विरूद्ध .....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 2 माह 8 सन् 21023 को दिन में 10.00 बजे ए.एम. दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेगं साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 5 माह 07 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आज्ञा से
मोहर अदालत
रीडर, अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेड, क्रम. 02 जयपुर महानगर द्वितीय

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 24/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी- नाम राजेश जैन पुत्र स्व. बाबूलाल जैन जाति जैन **विवाद स्थान** 1343 आंधीका भवन, जयपुर
मृतक स्व. बाबूलाल जैन की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 07.08.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम बाबूलाल जैन पुत्र रूप चन्द जैन जाति जैन निवासी 3, जैन विहार कॉलोनी, कंवर का बाग, सांगानेर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 08 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 05 माह 07 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से
मोहर अदालत
शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना

मुख्य परियोजना प्रबन्धक / गति शक्ति, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 28.07.2023 को 15.00 बजे तक खुली ई–निविदा आमंत्रित करते है **निविदा संख्याः** SNT-GS-BKN-2023-24-01 **1. कार्य का नाम व स्थान** : उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन के बीकेएन–आरटीजीएच सेक्शन में पार्सनेऊ स्टेशन पर आरडे मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) सिस्टम के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग कार्यों का निष्पादन. **2 अनुमानित लागत मूल्यः** 38371613.74; **(बिड सिक्यूरिटी राशि रूपये): 341900.00; निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समयः** बोली शुरू होने की तारीख 14–07–2023 और निविदा बंद होने की. तारीख और समय 28.07.2023 को 15:00 बजे तक; **नोटः**– अन्य शर्ते रेलवे की वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है **700-AN/23**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, राजगढ (अलवर) राज.
क्रमांक- न.पा.रा./2023/903-905 दिनांक-06.07.2023

संशोधित लोक सूचना

ज्योतिबा फुले सोशियल वेलफेयर सोसायटी जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती अनिता सैनी पुत्री श्री सेढु राम सैनी जाति माली निवासी 142 डाक्टर्स कॉलोनी डी.सी.एम. अजमेर रोड जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
राजगढ (अलवर)	थाना राजाजी राजगढ	356 रकबा 0.50	3000 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.07.23 को जारी की जाती है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजगढ (अलवर)

उत्तर पश्चिम रेलवे **ई-निविदा सूचना** G20
संख्याः EL 205/2/252 (T) **दिनांकः 05.07.2023**

मंडल रेल प्रबन्धक (बिजली), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति ओर से नीचे दिये गये कार्यों के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **क्र.: 1. निविदा संख्याः मं.रे.प्र. (बि.)-35-23-24. कार्य का नामः** All Div.: Repairing/ Maintenance of Submersible pumps for two years. **अनुमानित लागतः** रु. 3520130/-. **बयाना राशिः** रु. 70400/-. **ई- निविदायें बन्द्र होने की तिथिः** 27.07.2023. **क्र.: 2. निविदा संख्याः मं.रे.प्र. (बि.)-36-23-24. कार्य का नामः** All Div- Schedule maintenance of DG sets of Power Cars of All-DEE Jan Shatabdi (Train no. 12065/66), All-CDG Garib Rath(Train no. 12983/84), All-RMM SF Humsafar Exp. (Train no. 20973/74), UDZ- MYS/UDZ-DEE Humsafar Exp.(Train no. 19667/68-22985/86), UDZ- PPTA Humsafar Exp.(Train no.19669/70) and UDZ-SHM Exp.(Train no. 20971/72) for two years. **अनुमानित लागतः** रु. 13140173/-. **बयाना राशिः** रु. 215700/-. **ई- निविदायें बन्द्र होने की तिथिः** 27.07.2023. **क्र.: 3. निविदा संख्याः मं.रे.प्र. (बि.)-37-23-24. कार्य का नामः** Outsourcing of Escorting Activity including trip maintenance of Power cars for Trains under jurisdiction of Coaching depot. Udaipur and Madar for the period of two years. **अनुमानित लागतः** रु. 54882575.43/-. **बयाना राशिः** रु. 424400/-. **ई- निविदायें बन्द्र होने की तिथिः** 28.07.2023. **क्र.: 4. निविदा संख्याः मं.रे.प्र. (बि.)-38-23-24. कार्य का नामः** Provision of Solar power plants on roof top of various buildings over Ajmer division. **अनुमानित लागतः** रु. 8997975/-. **बयाना राशिः** रु. 180000/-. **ई- निविदायें बन्द्र होने की तिथिः** 28.07.2023. उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वैबसाइट का पता **www.ireps.gov.in** **707-AK/23**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 I फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पतियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियां उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूची में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की राशि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पति का पता
1.	28444914 एवं 34754650	गृह ऋण एवं सम्पत्ति पर ऋण	1. हनुमान सहाय गुर्जर 2. राजू देवी 3. रंगलाल गुर्जर	22.05.2023	33,93,402.53/-	रिहायशी सम्पत्ति, मिसल नं. 10.1.84, क्षेत्रफल 519.11 वर्गगज, ग्राम पंचायत जमवारामगढ ग्राम पंचायत समिति जमवा रामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान–303109 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है–पूर्व–रोड, पश्चिम–3 फिट गली एवं काना राम गुर्जर की सम्पत्ति, उत्तर–रोड, दक्षिण–नारायण सुजाराम की सम्पत्ति
2.	13866405 एवं 33911653	सम्पत्ति पर ऋण	1. जीतेन्द्र शर्मा 2. प्रेम देवी	21.06.2023	14,32,070.23/-	प्लाट नं. 195–ए, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, कनक विहार (विस्तार), मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान–302012 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है–पूर्व–प्लाट नं. 126, पश्चिम–प्लाट नं. 125–बी, उत्तर–रोड 30'0" चौडी, दक्षिण–प्लाट नं. 129
3.	10036565, 10108223 एवं 34410536	सम्पत्ति पर ऋण	1. माँ दुर्गा कलकशन प्रो. हिमानी कुमार फुलवानी 2. हिमानी कुमार फुलवानी 3. श्याम सुंदर फुलवानी 4. निशा फुलावनी	17.06.2023	1,96,02,985.99/-	प्लाट नं. (सर्वे नं.) 123–ए, क्षेत्रफल 187.15 वर्गगज, नन्दपुरी स्कीम (निजी खातेदारी) 22 गोदाम, हवासडक, जयपुर, राजस्थान–302019 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमाय है पूर्व–अन्य, पश्चिम–रोड 30', उत्तर–प्लाट नं. 123–बी, दक्षिण–मेरिट

आपको एतद् द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूची में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चो, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटे के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा / इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री / लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिए प्रतिबंधित है। ह./-

दिनांक : 07-07-2023
स्थान : जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)